न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा, आर.ए.एस.

एफ एस प्रकरण संख्या 01/2019

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

श्री श्रृवण राम पुत्र श्री जस्साराम चौधरी (एफबीओ/मालिक)। फर्म – मैसर्स – भावना डेयरी फार्म, सुभाष घाट, पीपाड सिटी जिला जोधपुर। निवासी– गांव जवासिया, प0स0 रीया, तह0 पीपाड सिटी, जिला जोधपुर।

–:आदेश :– **दिनांक :– 17.06.2019**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 28.10.2018 को श्री रजनीश शर्मा बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अद्यिकारी गश्त चैंकिग मैसर्स–भावना डेयरी फार्म, सुभाष घाट, पीपाड सिटी जिला जोधपुर पर पहुंचा व अपना परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया, इस समय डेंयरी पर विक्रेता एंव मालिक की हैसियत से श्री श्रृवण राम पुत्र श्री जस्साराम चौधरी, निवासी– गांव–जवासिया, प0स0 रीया, तह0 पीपाड सिटी, जिला जोधपुर उपस्थित मिले। आम जनता को दूध, दही आदी आम जनता को विक्रय कर रहे थे। उक्त दूध वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को रूपये 60/– नगद देकर मिक्स दूध को प्लंजर से अच्छी तरह हिला–मिलाकर एक रूप कर 2 लिटर वास्ते जाचं नमूनीकरण हेतु एक साफ सुखे खाली स्टील जग में खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी असल प्रति सलंग्न है।

विक्रेता व गवाह के सामने उक्त मिक्स दूध को हिला मिलाकर कर एक रूप कर चार प्लास्टिक की बोटल्स मे बराबर–बराबर मात्रा (500–500एमएल) मे डालकर प्रत्येक बोटल में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 40–40 बून्दे बतौर परिरक्षक की डालकर प्रत्येक बोटल को एयर टाईट बन्द कर इन हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–1917 खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक एंव परिरक्षक की मात्रा एंव प्रकृति अंकित की गई। मैने, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। इन चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1917 हस्ताक्षर युक्त डॉ. सुनील कुमार सिंह बिश्ठ, अभिहित अधिकारी, जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके

पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना एम–1917 सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने स्वयं गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की असल मौका फर्द सलंग्न है।

कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया एंव जिस सिल से नमूना सिल्ड किया गया उसका सिल इम्प्रेशन अंकित किया गया । फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनो को पुनः आउटर कवर मे लपेट कर मोटे धागे से बान्धकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया । फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एंव उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा स्वंय के द्वारा दिनांक 29.10.2018 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग–अलग असल सलंग्न है।

एम–1917 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 28.10.2018 को एंव चतुर्थ भाग दिनांक 28.10.2018 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ती रसीद दोनो अलग–अलग मूल सलंग्न हैं।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 672–673 दिनांक 22.11.2018 के साथ संलग्न जांच मूल रिपोर्ट एल. एस./781/एक्ट/2018/799 दिनांक 14.11.2018 मय खाद्य विश्लेषक जोधपुर का जांच में विलम्ब बाबत् पत्र संख्या 300 दिनांक 31.10.2018 मुझे प्राप्त हुई, के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिक्स दूध का नमूना मिल्क सोलिड नोट फेट की निर्धारित मानक 8.3 प्रतिशत के स्थान पर 7.87 प्रतिशत पाये जाने के कारण निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण **अमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform)** का होना पाया गया, अग्रेषण पत्र मय जांच रिर्पोटे सलंग्न है ।

उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) (v) का उल्लंघन किया है जो धारा 51 के अर्न्तगत जुर्माने योग्य अपराध है। इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम– 1917 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा प्रकरण पेश करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने बाबत् लिखा गया, प्रति प्रस्तुत की गयी।

अप्रार्थी दिनांक 02.04.2019 को स्वयं उपस्थित हुआ तथा उसके बाद आंदिनांक तक उसके द्वारा न तो जवाब दिया गया और न ही उनके अभिभाषक उपस्थित हुए। अतः इस प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हमने प्रकरण में प्रार्थी विभागीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद का अध्ययन किया। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि अप्रार्थी श्रृवण राम पुत्र श्री जस्साराम चौधरी (एफबीओ/मालिक)। फर्म – मैसर्स – भावना डेयरी फार्म, सुभाष घाट, पीपाड सिटी जिला जोधपुर वक्त जांच के दौरान खाद्य पदार्थ दूध विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट/अमानक स्तर का शक होने पर इसकी जांच हेतु सैम्पल लिए गए, जो पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, जोधपुर, राजस्थान को भेजा गया था, उक्त जांच रिपोर्ट एल. एस./781/एक्ट/2018/799 दिनांक 14.11.2018 मय खाद्य विश्लेषक जोधपुर का जांच में विलम्ब बाबत् पत्र संख्या 300 दिनांक 31.10.2018 मुझे प्राप्त हुई, के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिक्स दूध का नमूना मिल्क सोलिड नोट फेट की निर्धारित मानक 8.3 प्रतिशत के स्थान पर 7.87 प्रतिशत पाये जाने के कारण निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण **अमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform)** का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) (v) का उल्लंघन किया है जो धारा 51 के अर्न्तगत जुर्माने योग्य अपराध है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थय की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है।

आदेश

पत्रावली, एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 799 दिनांक 14.11.2018 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) (v) का दोषी हैं। अप्राथी श्रृवण चौधरी पर शास्ती रूपये 10000/– अक्षरे रूपये दस हजार की आरोपित की जाती हैं। अप्राथी उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के अंदर–अंदर निर्धारित मद में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
क्रमांकः कोर्ट/एडीएम(प्रथम)/2019/ दिनांक :–
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. श्री श्रृवण राम पुत्र श्री जस्साराम चौधरी (एफबीओ/मालिक)। फर्म – मैसर्स – भावना डेयरी फार्म, सुभाष घाट, पीपाड सिटी जिला जोधपुर। निवासी– गांव जवासिया, प0स0 रीया, तह0 पीपाड सिटी, जिला जोधपुर।

(मदनलाल नेहरा)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।